रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1980/ भाद्र 21, 1902

No. 425] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1980/BHADRA 21, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1980

का०आ० 774(अ)/18कक/औ०वि० वि०अ०/80.—मध्य प्रदेश राज्य में मैसर्स सेठ गोविन्दराम सुगर मिल्स, मेहिदपुर रोड़, जिला उज्जैन नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) अनुसूचित उद्योग अर्थात् चीनी उद्योग में लगा हुआ है;

और उसके कब्जे में प्राप्त दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर केन्द्रीय सरकार का उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के भार साधक व्यक्ति ने निधियों का अपयोजन करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जो उक्त औद्योगिक उपक्रम में उत्पादित चीनी के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस० एच० पिपड़ा, उप-उद्योग निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, मध्य प्रदेश सरकार, उज्जैन को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम अर्थात् मैसर्स सेठ गोविन्दराम शुगर मिल्स, मेहिदपुर रोड़, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे तो, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को पहले ही समाप्त कर सकेगी।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 4(12)/78-सी०यू०सी०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 12th September, 1980

S.O. 774(E)/18AA/IDRA/80.—Whereas, the industrial undertaking known as Messrs Seth Govindram Sugar Mills, Mehidpur Road, District Ujjain in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), is engaged in a scheduled industry, namely, sugar industry;

And, whereas, from documentary or other evidence in its possession, the Central Government is satisfied, in relation to the said industrial undertaking that the persons incharge of the said industrial undertaking have, by diversion of funds, brought about a situation which is likely to affect the production of sugar produced in the said industrial undertaking and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises Shri S. H. Pipada, Deputy Director of Industries, District Industries Centre, Government of Madhya Pradesh, Ujjain (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, namely, Messrs Seth Govindram Sugar Mills, Mehidpur Road, District Ujjain, Madhya Pradesh, on the following terms and conditions, namely :—

(1) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(2) the authorised person shall hold office for a period of three years from the date of publication in the Official Gazette of this Order;

(3) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of three years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4(12)/78-CUS]

का०आ० 775(अ)/18कक/औ०वि०वि०अ०/80.—मध्य प्रदेश राज्य में जौरा सुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जौरा, जिला रतलाम, नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) अनुसूचित उद्योग अर्थात् चीनी उद्योग में लगा हुआ है;

और उसके कब्जे में प्राप्त दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर केन्द्रीय सरकार का उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के भारसाधक व्यक्ति ने निधियों का अपयोजन करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जो उक्त औद्योगिक उपक्रम में उत्पादित चीनी के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री के० के० मिश्रा, औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी), उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य में जौरा शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जौरा, जिला रतलाम का प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे तो, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को पहले ही समाप्त कर सकेगी।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 4(12)/80-सी०यू०सी०]
बी० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 775(E)/18AA/IDRA/80.—Whereas, the industrial undertaking known as The Jaora Sugar Mills Private Limited, Jaora, District Ratlam, in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), is engaged in a scheduled industry, namely, sugar industry;

And, whereas, from documentary or other evidence in its possession, the Central Government is satisfied, in relation to the said industrial undertaking the persons incharge of the said industrial undertaking have, by diversion of funds brought about a situation which is likely to affect the production of sugar produced in the said industrial undertaking and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises Shri K. K. Misra, Industrial Adviser (Engg.), Directorate of Industries, Government of Madhya Pradesh, Bhopal (herinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the said industrial undertaking namely, The Jaora Sugar Mills Private Limited, Jaora, District Ratlam in the State of Madhya Pradesh, on the following terms and conditions, namely :—

(1) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(2) the authorised person shall hold office for a period of three years from the date of publication in the Official Gazette of this Order;

(3) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of three years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4(12)/80-CUS]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980